# IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT INDORE

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE ALOK AWASTHI

ON THE 15th OF SEPTEMBER, 2025

MISC. PETITION No. 5129 of 2025

*PARAMESHWARI DEVELOPERS PVT. LTD. THROUGH ITS DIRECTOR SIDDHANT*

*Versus*

*SURESH AND OTHERS*

---

Appearance:

*Shri Utkarsh Joshi, Advocate for the petitioner.*

*Ms. Mradula Sen, Government Advocate for the respondent No.7/State.*

---

ORDER

By this petition preferred under Article 227 of the Constitution of India, the petitioner has challenged the order dated 21.04.2025 passed by the Trial Court in RCSA No.715/2022, whereby the applications under Order 1 Rule 10 of CPC and other applications have been rejected on the ground of absence of plaintiff and counsel, without hearing on merit and in a clerical manner.

2. The impugned order dated 21.04.2025 reads as under :-

*21.04.2025*
*4.30*

> *"वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं।*
>
> *प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा अधिवक्ता श्री एस. के. गंगवाल उपस्थित। अधिवक्ता श्री गंगवाल द्वारा यह बताया गया कि वह इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक 2 से 6 की ओर से उपस्थित हो रहे हैं और इस बारे में उनके द्वारा वकालतनामा पूर्व भी प्रस्तुत किया जा चुका है।*
>
> *प्रतिवादी क्रमांक की ओर से श्री अजय उकास के सहयोगी*

Signature Not Verified
Signed by: GEETA PRAMOD
Signing time: 16-09-2025 18:37:51

*अधिवक्ता उपस्थित।*

*शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं।*

*वस्तुतः इस मामले में अभी तक प्रतिवादी क्रमांक 7 अनिर्वाहित है और वादी को निर्देशित किए जाने के बावजूद भी वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 7 को तलब किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।*

*इस मामले में कई ऐसे आवेदन पत्र लंबित है जिनका निराकरण, होना शेष है किंतु फाईल पूर्णतः अव्यवस्थित है और स्वयं वादी उपस्थित नहीं है जबकि दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया कि आगामी दिनांक को 12:00 बजे उपस्थित होकर आवेदन पत्रों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।*

*चूंकि वादी उपस्थित नहीं है और इस समय 1:55 बज चुके हैं, ऐसी दशा में वादी की ओर से प्रस्तुत सभी आवेदन पत्रों को गुण-दोष पर सुने बिना निरस्त किया गया।*

*प्रतिवादी क्रमांक 2, 4 व 5 की ओर से दो पृथक-पृथक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 45 साक्ष्य अधिनियम प्रस्तुत किए गए हैं किंतु फाईल व्यवस्थित न होने के कारण इन आवेदन पत्रों पर आज सुनवाई नहीं की जा सकी।*

*प्रतिवादी क्रमांक 2 से 6 की ओर से अन्य आवेदन पत्र आदेश 11 नियम 14 व आदेश 26 नियम 10 व आदे 13 नियम 1 सीपीसी लंबित है। संबंधित पक्ष इन सभी आवेदन पत्रों का जवाब प्रस्तुत करें।*

*प्रकरण इन लंबित आवेदन पत्रों पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.07.2025 को दोपहर 12:00 बजे पेश हो।"*

*कुमार उमेश कुमार पटेल*
*30वें जिला न्यायाधीश इंदौर म.प्र.*

3. Perusal of the impugned order reveals that *prima facie* an illegality has been committed by the Trial Court. He has passed a non-speaking order, which demonstrates a classic instance of abdication of judicial duty It is the duty of the Court staff to properly arrange the file and the Presiding Officer ought to have control over the Court staff. It cannot be a reason for rejecting the applications of any party. It is not the fault of the party that Court's file is not arranged properly.

4. Accordingly, the impugned order dated 21.04.2025 is quashed. The Trial Court is directed to decide all the pending applications on their own merits after perusing the record and giving opportunity of hearing to the petitioner, within a period of 60 days from the date of receipt of certified

Signature Not Verified
Signed by: GEETA PRAMOD
Signing time: 16-09-2025 18:37:51

copy of this order.

4. With the aforesaid direction, this petition is disposed of.

5. A copy of this order be sent to the concerned Court for necessary compliance. A copy of this order be also sent to the concerned Principal District Judge for information.

**(ALOK AWASTHI)**
**JUDGE**

gp

Signature Not Verified
Signed by: GEETA PRAMOD
Signing time: 16-09-2025
18:37:51